राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

पीठासीन अधिकारीः– शकुन्तला चौधरी

मुकदमा नम्बरः–359 / 2013

1. बीरबल पुत्र गणपतराम जाति स्वामी निवासी लादूसर की ढाणी दक्षिण तहसील मलसीसर।
2. मालाराम पुत्र गणपतराम जाति स्वामी निवासी लादूसर की ढाणी दक्षिण तहसील मलसीसर।
3. महावीर पुत्र गणपतराम जाति स्वामी निवासी लादूसर की ढाणी दक्षिण तहसील मलसीसर।
4. सांवतराम पुत्र गणपतराम जाति स्वामी निवासी लादूसर की ढाणी दक्षिण तहसील मलसीसर।
5. राजेश पुत्र गणपतराम जाति स्वामी निवासी लादूसर की ढाणी दक्षिण तहसील मलसीसर।

–वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र मगाराम जाति जाट निवासी धनूरी तहसील मलसीसर।
2. मगाराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी धनूरी तहसील मलसीसर।
3. रतिराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी धनूरी तहसील मलसीसर।
4. मदनलाल पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी धनूरी तहसील मलसीसर।
5. राजस्थान राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत बेदखली हटवाये जाने लेट्रिन कुई, पत्थर आदि व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :– 16.03.2021

निर्णय

वादीगण 01 लगायत 05 ने वाद पत्र जरिये अधिवक्ता इस आश्य का पेश किया की वादीगण की शामलाती खातेदारी की भूमि ख.न. 558 रकबा 0.05 है0, ख.न. 570 रकबा 0.6 है0, ख.न. 571 रकबा 0.04 है0, ख.न. 573 रकबा 0.05 है0, ख.न. 576 रकबा 1.06 है0 कुल किता 05 रकबा 1.26 है0 ग्राम लादूसर में स्थित है। प्रतिवादीगण 01 लगायत 04 की भूमि ख.न. 756 रकबा 0.01 है0, ख.न. 752 रकबा 2.30 है0, ख.न. 758 रकबा 0.09 है0, ख.न. 759 रकबा 0.01 है0, ख.न. 760 रकबा 3.80 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 6.25 है0 भूमि ग्राम धनूरी में स्थित है।

वादीगणों के बीच हुए बाहामी बंटवारे में लादूसर में स्थित भूमि ख0न0 576 वादी सं. 01 के हिस्से में आई। प्रतिवादीजन 01 द्वारा वादीगण की खातेदारी के खेत ख.न. 576 की भूमि में करीब 5 फुट चौडाई में भूमि पर अतिक्रमण कर अपने मकान में स्थित लेट्रिन कि कुई का निर्माण करवा लिया उक्त कुई को दावा के संलग्न नजरी नक्शा में x मार्क से दर्शाया गया है। 5 फुट चौड़ाई में बनी कुई के बाद आगे पश्चिम में 2 फुट और भूमि पर अतिक्रमण करते हुए कुल 07 फुट चौड़ाई में व 110 फिट लम्बाई में वादीगण के खेत ख.न. 576 की भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर लिया जिसे दावा के संलग्न नजरी नक्शा में अक्षर ABCD से दर्शाया गया है। वादी सं. 01 ने प्रतिवादी सं. 01 को उसके द्वारा उक्त अनुसार नाजायज रूप से 7 फुट चौड़ाई में अतिक्रमण करके बनाई गई लेट्रिन की कुई व पत्थरों को हटाने को कहा तो प्रतिवादी न. 01 ने अतिक्रमण हटाने से इन्कार कर दिया। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते जवाबदेही की गई।

प्रतिवादीगण द्वारा जबाब दावा पेश किया गया। जबाब दावा अनुसार वादीगण द्वारा दावा में अंकित तथ्यों को मिथ्या व झुठे दर्ज किये हैं। ह0प0 लादूसर, ह0प0 धनुरी व भू.अ.नि. हमीरीकलां की संयुक्त जांच रिपोर्ट अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में G.P.S. मशीन द्वारा लादूसर के ख.न. 576 एंव धनूरी के ख.न. 758, 760 के बीच की सीमा की जांच की गई, जिसमें पाया गया की उक्त कुई लादूसर के ख.न. 576 में बनी हुई है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अधिवक्ता उभयपक्षकारान बहस श्रवण की गई। बहस पर मनन किया गया। अतिक्रमण व कुई को हटाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार मलसीसर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम लादूसर की भूमि ख.न. 576 में निर्मित लेट्रिन की कुई व 7x110 फुट अतिक्रमण को हटाने कि कार्यवाही करें।

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर